(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 71 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री विनायक गोयल पुत्र श्री चंद्रमोहन जाति महाजन निवासी हाट चौक वार्ड नं. 5, अटरू जिला बारॉ(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स गोयल किराना स्टोर, हाट बाजार मैन मार्केट, अटरू जिला बारॉ
2. मैसर्स गोयल किराना स्टोर, हाट बाजार मैन मार्केट, अटरू जिला बारॉ
3. श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पुत्र श्री रामकिशन निवासी खोजा गेट धानमंडी धर्मशाला, बूंदी(मालिक) मैसर्स श्री शंकर गौरी एग्रो प्रोडक्ट प्रा. लि., खसरा नं. 161 काटूनारा नैनवां रोड, बूंदी 323001
4. श्रीमती सीमा माहेश्वरी पत्नी श्री सत्यनारायण माहेश्वरी निवासी खोजा गेट धानमंडी धर्मशाला, बूंदी(मालिक) मैसर्स श्री शंकर गौरी एग्रो प्रोडक्ट प्रा. लि., खसरा नं. 161 काटूनारा नैनवां रोड, बूंदी 323001
5. मैसर्स श्री शंकर गौरी एग्रो प्रोडक्ट प्रा. लि., खसरा नं. 161 काटूनारा नैनवां रोड, बूंदी 323001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 01 व 02)
3– श्री रमेश माहेश्वरी कंपनी के प्रतिनिधि (अप्रार्थी क्रम 3, 4 व 5)

निर्णय दिनांक 30.11.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दि. 29.03.2023 को मै. गोयल किराना स्टोर, हाट बाजार मैन मार्केट, अटरू जिला बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री विनायक गोयल पुत्र श्री चंद्रमोहन महाजन(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक** 01 किग्रा.–01 किग्रा. के 10 मूल पैक रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक** के 04 मूल पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री विनायक गोयल पुत्र श्री चंद्रमोहन महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 260/– रूपये (अक्षरे दो सौ साठ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तत्पश्चात् कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:19:01 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. का कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1794 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1794 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री विनायक गोयल पुत्र श्री चंद्रमोहन महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/180 दिनांक 24.04.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 685/PHL/kota/Act/2023/687 दिनांक 13.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 एवं 02 द्वारा स्वयं एवं अप्रार्थी क्रम 03, 04 एवं 05 की ओर से मय **Authorisation Latter** के कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश माहेश्वरी द्वारा उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 03, 04 एवं 05 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप (Miand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 03, 04 एवं 05 के प्रतिनिधि द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अज्ञानतावश हमारे द्वारा पूर्व में चावल उत्पाद पर पैक्ड डेट के स्थान पर सिर्फ पैकिंग माह एवं **Expiry Best Before 3 year from the date of packaging** अंकित किया जाता था जिसे हमने नियमानुसार बदल कर नियत तिथि की पैक्ड डेट एवं एक्सपायरी डेट डालना शुरु कर दिया है। इस प्रकार की त्रुटि हमारे द्वारा भविष्य में कभी नहीं होगी। हमारे उत्पाद की क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है और हम स्वयं भी यही चाहते है कि हमारे द्वारा जो भी व्यावसायिक कार्य किया जाए वह सरकार द्वारा जारी नियमानुसार हो एवं हमारे द्वारा बनाये गये उत्पाद मानव स्वास्थ्य के हित में हो।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (श्री मखमल) मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 685/PHL/kota/Act/2023/687 दि. 13.04.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 03, 04, 05 को कुल जुर्माना राशि 80,000/— रूपये(अक्षरे अस्सी हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 [illegible], 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान [illegible] प्रति [illegible] न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को मेरे द्वारा लि[illegible] जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:19:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)